

60

प्रेषक,

काशी प्रसाद तिवारी
उप सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12

लखनऊ : दिनांक/2 अगस्त, 2015

विषय:—वित्तीय वर्ष 2015-16 में एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास प्रोग्राम के अन्तर्गत **नानऊ-दादऊ मार्ग** (एम०डी०आर०-82डब्लू) के चैनेज 0.000 कि०मी० से 30.000 कि०मी० तक उच्चीकरण के कार्य क्रियान्वित किये जाने की कार्य योजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, बाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र सं०-380/2-12/यू०पी०ए०डी०बी०/सी०ई०डब्लू०बी०/2015, दिनांक 31.03.2015 एवं पत्र सं०-482/2-06/यू०पी०ए०डी०बी०/सी०ई०डब्लू०बी०/2014, दिनांक 16.06.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एशियन विकास बैंक से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास प्रोग्राम के अन्तर्गत नानऊ-दादऊ मार्ग (एम०डी०आर०-82डब्लू) के चैनेज 0.000 कि०मी० से 30.000 कि०मी० तक उच्चीकरण के कार्यों की कार्य योजना के निर्माण हेतु श्री राज्यपाल रू० 12397.34 लाख (रूपये एक अरब तेइस करोड़ सत्तानवे लाख बीतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू० 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

- (5) विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा ही जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक-“1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली” में जमा की जायेगी।
- (7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (8) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (9) एशियन विकास बैंक एवं योजना की गाइड लाइन्स तथा भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।
- (11) वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(5)(ज) के प्राविधानुसार अवशेष धनराशि की आगामी किश्ते शासन स्तर से निर्गत की जायेंगी।
- (12) प्रश्नगत परियोजना पर निर्माण कार्य तभी प्रारम्भ कराया जाय जब इस परियोजना के लिये एशियन विकास बैंक / भारत सरकार से ऋण उपलब्ध कराये जाने की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो जाय।
- (13) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, कस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत

- (14) प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० लखनऊ द्वारा प्रायोजना की द्वितीय किश्त स्वीकृत करने का प्रस्ताव, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं संगत अभिलेखों सहित अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं०-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-97-बाह्य सहाय्यतित परियोजनायें-04-एशियन डेवलपमेन्ट सहाय्यतित उत्तर प्रदेश जिला सड़क परियोजना के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-ई-8-2137/दस-2015, दिनांक 03 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(काशी प्रसाद तिवारी)
उप सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- (3) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (5) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8
- (6) ✓ मुख्य अभियन्ता, बाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिरण (उपशा), लखनऊ।
- (8) लोक निर्माण अनु०-1/10/11
- (9) वेब मास्टर/वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- (10) गार्ड फाइल।

जानें : निम्न के सुसंगत एवं आवृत्त व्यक्तियों के -

दिनांक: 17/08/2015 आज्ञा से,

परिचयः, एम. आर. पी. उत्र, विद्युत, लॉ-जे. वि. लखनऊ काशी प्रसाद तिवारी

(3) अधीनस्थ ३ कर्मचारी हैं।

Q. 2015 (R) (4) श्री श्री गुरुदेव की आज्ञा, व्यास जी, वाद-विवाद, पर, लो-लो, लो-लो, लो-लो

⑤ अस्य पत्नी

~~Handwritten signature~~

मुख्य आंगणवाडी

